UPCD010008192026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

उपस्थितः अशोक कुमार-XI, एच.जे.एस.
J.O.Code U.P. 6128

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 395 सन् 2026

शहजाद उर्फ नेउर पुत्र विस्मिल्ला बनाम राज्य।

फौजदारी वाद संख्या : 58 सन् 2019
मु.अ.सं. : 62 सन् 2019
धाराः 8/22 एन.डी.पी.एस.ऐक्ट
थानाः जी.आर.पी.मुगलसराय, जनपद : चन्दौली।

दिनाँक : 13.03.2026,

प्रार्थी/अभियुक्त शहजाद उर्फ नेउर पुत्र विस्मिल्ला की ओर से फौजदारी वाद संख्या 58/2019, मु.अ.सं. 62/2019, धारा- 8/22 एन.डी.पी.एस.ऐक्ट, थाना-जी.आर.पी. मुगलसराय, जनपद चन्दौली के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र के माध्यम से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य मुकदमें में जेल में है और इस मुकदमें में दिनाँक 18.02.2026 से जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट का आदेश पारित कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जान-बूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि नहीं की जायेगी। प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होगा तथा न्यायालय की प्रत्येक शर्तो को मानने के लिए तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त स्थानीय व्यक्ति है। उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान ए.डी.जी.सी.(क्रि.) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली दिनाँक 30.07.2024 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य नियत थी। प्रार्थी/अभियुक्त के उपस्थित न होने और न ही कोई हाजिरी माफी का प्रार्थना-पत्र देने कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया। दूसरे मामले में जिला कारागार में निरुद्ध रहने के दौरान दिनाँक 18.02.2026 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में तलब किया गया और धारा- 309 दं.प्र.सं. का वारण्ट तैयार कर जिला कारागार, वाराणसी भेजा गया। अभियुक्त को पूर्व से जमानत पर होना कहा गया है। उसके अनुपस्थित हो जाने पर न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारण्ट पर वह न्यायिक अभिरक्षा में दिनाँक 18.02.2026

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.03.13 15:47:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है एवं अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शहजाद उर्फ नेउर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर कि वह आगामी तिथियों पर अपनी उपस्थिति स्वयं या जरिये विद्वान अधिवक्ता सुनिश्चित करेगा, दाखिल करने पर, उसे पूर्व दाखिल जमानतनामें एवं प्रतिभू पर जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनाँक : 13.03.2026

(अशोक कुमार-XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।